न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका।

नामांतरण अपील वाद सं0– 10/2020–21

जुबैदा बीबी बनाम् अब्दुल रईस खान एवं अन्य

दिनांक	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश	अभ्युक्ति
	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, रंका के द्वारा नामांतरण वाद सं0– 78 R 27/2020–21 में मौजा लिदीकण्डा थाना सं0– 86 के खाता सं0–31 प्लॉट सं0– 35 रकबा– 1.50 ए0 में अस्वीकृत का कारण यह अंकित किया गया है कि राजस्व कर्मचारी के जॉच में बताया गया है कि उक्त भूमि के नामांमरण में अब्दुल रईस खान के द्वारा आपति दिया गया है और बताया है कि हिस्से से अधिक भूमि बिकी किया गया है। साथ ही अंचल निरीक्षक के जॉच में स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि के नामांतरण में आपति प्राप्त है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, रंका द्वारा यह बताकर नामांतरण अस्वीकृत किया गया है कि किसी भी बटवारा से संबंधित कोई तथ्य नहीं दिये है न ही बटवारा से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये है और न ही NOC अभिलेख में संलग्न किया गया है। अतः उक्त वाद के आलोक में अपीलार्थी के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, रंका के द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0– 78 R 27/2020–21 में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। साथ ही अंचल अधिकारी, रंका को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित **(Remand)** किया जाता है कि अपीलार्थी के उक्त खाता प्लॉटों से संबंधित स्थल जॉच करते हुए तथा केवाला में दर्ज एवं प्रावधानों के अनुसार नामांतरण करना सुनिश्चित करेंगे। इस आशय के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश कि प्रति अंचल अधिकारी, रंका को अनुपालन हेतु भेजें। 4.08.22 उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका।	

Digitally signed by PARMESH KUSHWAHA
Date: 2023.11.26 16:00:53 +05:30
Location: 192.168.238.59